न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2017 निगरानी

	उनवान	
श्री रतनलाल पिता छोगा गुर्जर निवासी बांसड़ा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज0)	**बनाम**	1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा, जिला–भीलवाडा (राज0) 2.श्री गोपी पिता धन्ना बलाई निवासी बांसड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
––प्रार्थी/निगराकार		––अप्रार्थी/गैर निगराकार

अपील अन्तर्गत धारा 14(4) रा0भू0रा0 अधिनियम (कृषि भूमि आवंटन नियम) 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा, पत्रावली संख्या आवंटन 92/449 दिनांक12.06.1992

उपस्थित :– श्री शिवसिंह चारण अधि0 निगराकार
श्री जे0सी0दाधीच अधि0विपक्षी सं0 2

निर्णय

दिनांक : 11/06/2018

प्रार्थी/निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 14(4) रा0भू0रा0 अधिनियम (कृषि भूमि आवंटन) 1970 के तहत आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांसड़ा पटवार क्षैत्र गुन्दली तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 33 मीन रकबा 19.11 बीघा भूमि पर प्रार्थी व उसके पिता का पिछले 50 वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु इसमें से 01 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 02 के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 26.06.1991 से राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी से आ0नं0 33/5 दर्ज कर दी गई शेष रकबा बिलानाम सरकार के नाम पर दर्ज है। विपक्षी संख्या 02 के द्वारा आवंटन शर्तों की विधिवत पालना नहीं की गई। अलोटी/विपक्षी संख्या 02 वक्त अलोटमेन्ट भूमिहीन काश्तकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.1992 से आराजी संख्या 33मीन में से आराजी संख्या 33/5 रकबा 01 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश पारित फरमावें।

प्रार्थना पत्र/आवंटन निगरानी दिनांक 15.06.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 के द्वारा दिनांक 22.11.2017 को जवाब प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 गलत होकर बेबुनियाद होने से अस्वीकार की। यह गलत है कि आराजी सं0 33 मीन रकबा 19.11 बीघा भूमि से विपक्षी को आवंटित आराजी सं0 33/5 रकबा 01 बीघा पर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी व उसके पिता 50 वर्ष से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हों। विपक्षी सं0 2 को यह भूमि दिनांक 26.06.1992 को आवंटित हुई उसके 25 वर्ष बाद यह प्रकरण प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन मेन्टिनेबल नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 से लगायत 9 तक गलत होने से अस्वीकार है ।

जवाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त अभिवचन किया कि प्रार्थी आवंटन की पात्रता नहीं रखता है । राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा होने से अतिक्रमी को कोई हक व अधिकार सृजित नहीं होते हैं ऐसी भूमि काबिल आवंटन के मानी गयी है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत पोषणीय नहीं रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं आधारहीन आधारों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थनापत्र/आवंटन आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति, आवंटित भूमि मौके पर नपती कर कब्जा सिपुर्द किया जिसके सिपुर्दगीनामा दिनांक 15.06.1992 की प्रमाणित फोटो प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी के द्वारा आराजी नम्बर 33/5 रकबा 1–00 बीघा भूमि की खसरा गिरदावरी की नकलें सम्वत् 2056 से 59, 2068 से 71 व 2072 से 75, तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 की व नामा0सं0 348 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आवंटित आराजी पर प्रार्थी एवं उसके पिता का पिछले 50 वर्षों से कब्जा है। प्रार्थी को धारा 91 रा0भू0रा0अ0 के तहत अतिक्रमण की कार्यवाही किए जाने का नोटिस सन् 1992 में जारी हुआ है। विपक्षी संख्या 02 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। विपक्षी संख्या 02 का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है इसके बावजूद हमारे कब्जे की भूमि आवंटित की जो विधि विरूद्ध होने से आवंटन निरस्त योग्य है।

बहस में वकील विपक्षी संख्या 02 ने बताया कि ग्राम बांसड़ा की राजकीय आ0नं0 33 मीन में प्रार्थी/निगराकार का नाजायज कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विपक्षी को विधिवत आवंटन हुआ है। अतिक्रमी कभी भी आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। अतः निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निगरानी के तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ग्राम बांसड़ा की राजकीय आ0नं0 33मीन रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से विपक्षी संख्या 02 श्री गोपी पिता धन्ना बलाई निवासी बांसड़ा तहसील भीलवाड़ा को 1–00 बीघा भूमि का आवंटन विधिवत दिनांक 12.06.1992 को किया गया। प्रार्थी का कथन है कि उसका एवं उसके बापदादाओं का पिछले 50 वर्षों से उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा है परन्तु प्रार्थी/निगराकार प्रश्नगत भूमि पर अपने कब्जे काश्त को किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है।

विपक्षी सं0 2 को ग्राम बांसड़ा की आ0नं0 33/5 रकबा 1–00 बीघा (0.2529 है0) भूमि दिनांक 12.06.1992 यानि सम्वत् 2049 को आवंटित होकर गैर खातेदारी से दर्ज है। परन्तु सम्वत् 2049 से आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 02 के द्वारा कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या पर्चामौका प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्षी के द्वारा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

खसरा गिरदावरी की नकलें सम्वत् 2056 से 59, 2068 से 71 व 2072 से 75 प्रस्तुत की जिसमें श्री गोपी पिता धन्ना बलाई का मात्र नाम दर्ज है परन्तु उसमें उसके द्वारा किसी भी तरह काश्त किया जाना सिद्ध नहीं होता है। आवंटी के द्वारा सम्वत् 2049 से 2055 व 2060 से 2067 तक की अवधि की कोई जिन्स गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। अर्थात आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात से विपक्षी संख्या 02 का कभी कब्जा ही नहीं रहा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 14 में शर्त संख्या 3 में उल्लेख है कि आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित रकबे का 50 प्रतिशत एवं उसके अगले वर्ष सम्पूर्ण रकबे पर काश्त किया जाना आवश्यक है जबकि विपक्षी संख्या 2 के द्वारा उक्त शर्त की कभी पालना नहीं की है। आवंटी का आवंटन से कभी कोई कब्जा काश्त ही नहीं रहा है जिससे वह किसी भी तरह से आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी के अधिकार की पात्रता भी नहीं रखता है। आवंटन नियम 1970 की धारा 14 उपधारा 2 के अनुसार आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रतिवर्ष लगान जमा कराने की रसीदें आदि प्रस्तुत नहीं की है । विपक्षी को आवंटित आ0नं0 33/5 पर आज दिनांक तक खातेदारी प्रदान नहीं की गई। आवंटन दिनांक से आज दिनांक तक आ0नं0 33/5 रकबा 1.00 बीघा (0.2529 हैक्टर) भूमि पर आवंटन शर्तों के अनुसार कब्जा काश्त एवं उपयुक्त उपभोग किया जाना तथा नियमों के तहत निर्धारित लगान आदि जमा कराना सिद्ध नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आवंटन प्रकरण संख्या 449/92 आदेश दिनांक 12.06.1992 से श्री गोपी पिता धन्ना बलाई नि0 बांसड़ा त0 भीलवाड़ा को किया गया 1.00 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि आवंटन नियम) 1970 की धारा 14 में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना के अभाव में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव –

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/निगराकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि आवंटन नियम) 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत निगरानी में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की विधिवत पालना नहीं किए जाने से आवंटन निरस्ती हेतु स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्र0सं0 449/92 दिनांक 12.06.1992 द्वारा ग्राम बांसड़ा तहसील भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 33/5 रकबा 1–00बीघा (0.2529 हैक्टर) भूमि का श्री गोपी पिता धन्ना बलाई नि0 बांसड़ा को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का तलविदा रिकॉर्ड मय निर्णय की प्रति के पालनार्थ लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 11/06/2018 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा